



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र, 1943 (श०)

संख्या-450 राँची, गुरुवार,

2 सितम्बर, 2021 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

16 अगस्त, 2021 / 25 श्रावण, 1943 (शक)

संख्या- झार.-लो.स./पूर्व अनु०-1/9/2019--यतः निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषण प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 9-जमशेदपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः:, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखण्ड दिनांक 27-6-2019 के पत्र सं० 1779/जि.नि. द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 5 जुलाई, 2019 के पत्र सं. 01/निर्वा.ई.ई.एम-को.-23/2019/5197, के जरिए अग्रेषित दिनांक 22 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार **श्रीमती सविता कैबर्त्त** जो झारखण्ड के 9-जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **ऐहरा नेशनल पार्टी** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा आपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः:, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्रीमती सविता कैबर्त्त** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16 मार्च, 2020 जारी किया गया था;

और यतः:, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 16 मार्च, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्रीमती सविता कैबर्त्त** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः:, उक्त नोटिस **श्रीमती सविता कैबर्त्त** के पुत्र द्वारा 6 अगस्त, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, द्वारा अपने दिनांक 17 मार्च, 2021 के पत्र सं० 136/जि.नि. के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः:, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा अपने दिनांक 17 मार्च, 2021 के पत्र सं० 136/जि.नि. के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्रीमती सविता कैबर्त्त** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्रीमती सविता कैबर्त्त** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रही हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा"

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड राज्य के **9-जमशेदपुर** लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाली **ऐहरा नेशनल पार्टी** अभ्यर्थी **श्रीमती सविता कैबर्त्त, 225, बिरसानगर, जोन नं०-5, पो०-टेल्को, जिला पूर्वी सिंहभूम झारखण्ड पिन-831004**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

आदेश से,

(अरविन्द आनन्द)

प्रधान सचिव ।

उपरोक्त आदेश का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० रवि कुमार)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

16 August, 2021 / 25 Sravana, 1943 (Saka)

No. JKD-HP/ES-I/9/2019--WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Jharkhand, 2019 was announced by Election Commission vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, the date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 9-Jamshedpur Parliamentary Constituency in Jharkhand State on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WEHREAS, as per the report vide letter No. 1779/जि०नि० dated 22 June, 2019 submitted by the District Election Officer, East Singhbhum, Jamshedpur, Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer, Jharkhand vide letter No. 01/निर्वा-ई.ई.एम-को.-23/2019/5197, dated 5th July, 2019, **Smt. Sabita Kaibarto, Aihra National Party**, contesting candidate from 9-Jamshedpur Parliamentary Constituency of Jharkhand State, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WEHREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, East Singhbhum, Jamshedpur, Jharkhand and the Chief Electoral Officer, Jharkhand a Show Cause Notice, dated 16th March, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Smt. Sabita Kaibarto**, for non-submission of Election expenses;

AND WEHREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 16th March, 2020, **Smt. Sabita Kaibarto**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge her accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WEHREAS, the said notice was received by the son of **Smt. Sabita Kaibarto**, on 6th August, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the

Commission by District Election Officer, East Singhbhum, Jamshedpur vide his letter No. 136/जि०नि० dated 17th March, 2021.

AND WEHREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, East Singhbhum, Jamshedpur vide his letter No. 136/जि०नि० dated 17th March, 2021 it has been stated that **Smt. Sabita Kaibarto**, has not submitted any representation or her account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, she has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WEHREAS, the Commission is satisfied that **Smt. Sabita Kaibarto**, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WEHREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (i) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (ii) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares **Smt. Sabita Kaibarto**, resident of **225 Birsanagar Zone No. 5, Telco District-East Singhbhum, Jharkhand-831004** and **Aihra National Party**, contesting candidate for General Election to Lok Sabha of Jharkhand, 2019 from **9-Jamshedpur Parliamentary Constituency** in the State of Jharkhand, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,

(ARVIND ANAND)

PRINCIPAL SECRETARY
